AKSHANSH PUBLICATION

RPSC, RSMSSB और राजस्थान में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी।

लक्ष्य क्लासेज उदयपुर

नवगठित 7 संभागों एवं 41 जिलों पर आधारित

राजस्थान

राज्यव्यवस्था

प्रथम संस्करण

आर.ए.एस. (RAS), प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी अध्यापक, सब इंस्पेक्टर (राज. पुलिस), पटवार, ग्राम सेवक, एल. डी. सी., जूनियर एकाउंटेंट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी पुस्तक।

RPSC एवं RSMSSB की परीक्षाओं (2022, 2023, 2024) में पूछे गए प्रश्नों सहित।

MRP :₹130

विशेषताएँ:

- मा. शि. बो. की पुस्तकों पर आधारित विश्वसनीय अध्ययन सामग्री।
- राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी एवं सुजस के संदर्भों पर आधारित तथ्यपरक विषयवस्तु।
- समसामयिक घटनाओं के साथ तथ्यात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन।
- सहज, स्पष्ट और समझने में आसान प्रस्तुतीकरण।
- नवीनतम पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न के अनुसार संशोधित एवं समावेशी जानकारी।
- परीक्षा दृष्टि से आवश्यक विषयों को संक्षिप्त सारणियों एवं चार्ट्स के माध्यम से प्रस्तुतिकरण।

लेखक

डॉ. नवीन गहलोत सर (लक्ष्य वरिष्ठ अध्यापक) | राहुल चौधरी सर (लक्ष्य वरिष्ठ अध्यापक)

सफलता के पथ पर सबसे तेज उभरता हुआ संस्थान

लक्ष्य क्लासेज™

M. 9079798005, 6376491126

Plot No 1104, Shiksha Mandir, Sec 4, Circle, Main Road, Udaipur

श्री आनंद अग्रवाल
निदेशक
लक्ष्य क्लासेज, उदयपुर

दो शब्द...

प्रिय विद्यार्थियों.....

आपके समक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) और राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय चयन बोर्ड (RSMSSB) द्वारा आयोजित राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु राजस्थान की राजव्यवस्था के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम की स्टडी गाइड पुस्तक प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष की अनुभूति हो रही है। यह पुस्तक विद्यार्थियों की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी को मजबूत बनाने और परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से लिखी गई है। यह स्टडी गाइड पुस्तक राजस्थान की सभी परीक्षाओं में राजस्थान की राजव्यवस्था की आवश्यकताओं के गहन अध्ययन को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर तैयार की गई है।

यह पुस्तक सम्पूर्ण नवीनतम पाठयक्रम को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिसके तहत राजस्थान की राजव्यवस्था विषय की सम्पूर्ण पाठ्यसामग्री दी गई है। इस पुस्तक में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों पर आधारित सटीक एवं प्रामाणिक सामग्री तथा राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी एवं सुजस पर आधारित प्रामाणिक जानकारी दी गई है। इसके अतिरिक्त, इस पुस्तक में सभी अध्यायों के टॉपिक्स अनुसार विगत वर्ष परीक्षाओं के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी समावेश किया गया है।

इस पुस्तक को विषय विशेषज्ञों ने अपने विशिष्ट अनुभव व कौशल से तैयार किया हैं। यह पुस्तक राजस्थान परीक्षाओं के प्रतिभागियों की आगामी परीक्षा की तैयारी को मजबूत बनाने और सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से लिखी गई है, जिससे वे अपनी तैयारी के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार कर सकते हैं।

मार्गदर्शन- लक्ष्य क्लासेज के विषय विशेषज्ञ शिक्षक नवीन गहलोत सर के निर्देशन में।
पाठ्यसामग्री निर्माता- राजवर्धन बेगड़, गंगासिंह भाटी और जिज्ञासा गहलोत।

अंततः यह कहा जा सकता है कि यह पुस्तक राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत लाभप्रद है।

लक्ष्य परिवार आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है।

आनंद अग्रवाल
निदेशक, लक्ष्य क्लासेज

लक्ष्य क्लासेस ने इस पुस्तक के तथ्यों तथा विवरणों को उचित स्त्रोतों से प्राप्त किया है। इस पुस्तक में प्रकाशित सभी प्रकार की सामग्री पूर्णतः तथ्यात्मक विश्लेषण पर आधारित है। इस पुस्तक के किसी भी भाग और सामग्री को लक्ष्य क्लासेस की अनुमति और जानकारी के बिना अन्यत्र प्रकाशित या प्रिन्ट करना अनुचित है, यदि ऐसा पाया जाता है तो व्यक्ति या संस्थान स्वयं जिम्मेदार है।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	अध्याय	पेज सं.
1.	राज्यपाल	1-14
2.	मुख्यमंत्री एवं मन्त्रिपरिषद्	15-28
3.	महाधिवक्ता	29-30
4.	राज्य प्रशासनिक व्यवस्था	31-37
5.	राज्य विधानमण्डल	38-58
6.	उच्च न्यायालय	59-70
7.	राज्य लोक सेवा आयोग	71-76
8.	राज्य निर्वाचन आयोग	77-80
9.	राज्य सूचना आयोग	81-83
10.	राज्य वित्त आयोग	84-86
11.	राज्य मानवाधिकार आयोग	87-93
12.	लोकायुक्त	94-99
13.	राज्य महिला आयोग	100-101
14.	जिला प्रशासन	102-109
15.	पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन	110-128
*	संविधान के अनुच्छेद	129-134

राज्यपाल

- राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख हैं। राज्य की कार्यकारी शक्ति उनमें निहित है।

संविधान में प्रावधान

- भाग VI (राज्य) के **अनुच्छेद 153 से 167** राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है।
- राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद् और राज्य के महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) शामिल होते हैं।
- राज्यपाल, राज्य का कार्यकारी प्रमुख/**संवैधानिक प्रमुख**/ नाममात्र का प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री जो मंत्रिपरिषद् का प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख होता है।
  राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। इसलिए, राज्यपाल के कार्यालय की दोहरी भूमिका होती है।
- केंद्र में उप-राष्ट्रपति के समान उप-राज्यपाल का कोई पद नहीं होता।

राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद

अनुच्छेद	विवरण
153	राज्यों के राज्यपाल
154	राज्य की कार्यकारी शक्ति
155	राज्यपाल की नियुक्ति
156	राज्यपाल के पद की पदावधि
157	राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ
158	राज्यपाल कार्यालय की शर्तें
159	राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
160	कतिपय आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन
161	क्षमा आदि देने की राज्यपाल की शक्ति
162	राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार
163	राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद्
164	मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्तियाँ, कार्यकाल, वेतन और अन्य
165	राज्य के महाधिवक्ता
166	किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन
167	राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य
174	राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन
175	राज्य विधानमण्डल के सदनों को सम्बोधित करने और संदेश भेजने के राज्यपाल के अधिकार।
176	राज्य विधानमण्डल के सदनों में राज्यपाल व विशेष अभिभाषण।
200	विधेयकों पर सहमति (अर्थात् राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति)
201	राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित विधेयक
213	अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति
217	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल से परामर्श किया जाना।
233	राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
234	राज्यपाल द्वारा राज्य की न्यायिक सेवा में व्यक्तियों (जिला न्यायाधीशों के अलावा) की नियुक्ति।

राज्य का राज्यपाल

- संविधान के **अनुच्छेद 153** में प्रावधान है कि- प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है।
- हालाँकि, सातवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 की धारा के अनुसार एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

राज्यपाल की नियुक्ति

- संविधान के **अनुच्छेद 155** में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
- राज्यपाल जनता द्वारा चुना नहीं जाता और न ही अप्रत्यक्ष चुनाव से इसका निर्वाचन होता बल्कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा-पत्र से होती है, अर्थात् वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है।
- उच्चतम न्यायालय के 1979 के निर्णय के अनुसार राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है और केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है।

राज्यपाल हेतु अर्हताएं/योग्यताएँ

- संविधान के **अनुच्छेद 157** में राज्यपाल हेतु अर्हताएं निर्धारित दी गई है-
  1. उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।
  2. वह **35 वर्ष** की आयु पूर्ण कर चुका हो।
- राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित दो परम्पराएं भी जुड़ गई यद्यपि दोनों परम्पराओं का कुछ मामलों में उल्लंघन हुआ है
  1. वह उस राज्य से संबंधित न हो जिस राज्य में नियुक्त किया जा रहा है।
  2. राष्ट्रपति, राज्यपाल की नियुक्ति के मामले में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे।

राज्यपाल पद की शर्तें

- संविधान के **अनुच्छेद 158** में राज्यपाल पद की शर्तों का उल्लेख किया गया है।

- उसे न तो संसद सदस्य होना चाहिए और न ही विधानमंडल का सदस्य। यदि किसी सदन का सदस्य है तो पद ग्रहण से पूर्व उस सदन से त्याग-पत्र देना होगा।
- उसे किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
- वह संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियों एवं विशेषाधिकार का अधिकारी होगा।
- उसके कार्यकाल के दौरान आर्थिक उपलब्धियाँ एवं भत्ते कम नहीं किये जा सकते।
- यदि वह दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होता है तब उपलब्धियां एवं भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानक से सम्बन्धित राज्यों की संचित निधि से मिलेंगे।

राज्यपाल हेतु शपथ या प्रतिज्ञान

- संविधान के **अनुच्छेद 159** में राज्यपाल हेतु शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान किया गया है।
- पद ग्रहण करते समय राज्यपाल संविधान और सुरक्षा तथा नागरिक हितों की शपथ लेता है।
- प्रत्येक राज्यपाल तथा उसके कृत्यों का निर्वहन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं।
- मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तब उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं।

राज्यपाल के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ

- भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के साथ ही राज्यपाल को भी विशेषाधिकार प्रदान किया गया है, जिनका उल्लेख **अनुच्छेद 361** में है।
- राज्यपाल को अपने शासकीय कृत्यों के लिए विधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त होती है।
- पद पर रहते हुए किए गए अपने कार्यों के लिए राज्यपाल को न्यायपालिका के समक्ष उत्तरदायी घोषित नहीं किया जा सकता।
- राज्यपाल के खिलाफ उसके कार्यकाल के दौरान न्यायालय में आपराधिक कार्रवाई पर सुनवाई नहीं की जा सकती।
- राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार करके कारागार में नहीं डाला जा सकता।
- राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के लिए सिविल मामला चलाया जा सकता है लेकिन राज्यपाल के विरूद्ध ऐसा मामला लाने वाले व्यक्ति को अपना पता व मामले का आधार बताना होगा और 2 महीने पूर्व इस प्रकार का नोटिस देना होगा।

राज्यपाल की पदावधि/कार्यकाल

- संविधान के **अनुच्छेद 156** में राज्यपाल की पदावधि/कार्यकाल का उल्लेख किया गया है।
- राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण से **पाँच वर्ष** के लिए होता है लेकिन वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है।
- राष्ट्रपति एक राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं।
- राष्ट्रपति, एक राज्यपाल को जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका है, को उसी राज्य या अन्य राज्य में **दुबारा नियुक्त** कर सकता है।
- एक राज्यपाल पाँच वर्ष के बाद भी पद पर बना रहता है जब तक की उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, ताकि रिक्तता की स्थिति न पैदा हो।
- राज्यपाल अपना **त्याग-पत्र राष्ट्रपति** को सम्बोधित करके देता है।
- राष्ट्रपति को जब लगे की कोई अकस्मात् घटना हो रही है तब वह राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए उपबंध बना सकता है।
- वर्तमान राज्यपाल के अकस्मात् निधन पर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जाता है।

वेतन एवं भत्ते

- राज्यपाल के **वेतन और भत्ते संसद निर्धारित** करती है लेकिन इनका भुगतान राज्य की संचित निधि से किया जाता है।
- संविधान की **दूसरी अनुसूची** में राज्यपाल के वेतन और भत्तों का उल्लेख है।
- वर्ष 2012 में राज्यपाल का वेतन बढ़ाकर **साढ़े तीन लाख** कर दिया है

राज्यपाल की शक्तियाँ

- संघ में जो शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, वहीं शक्तियाँ राज्य में राज्यपाल को प्राप्त होती है। इनमें कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियों को शामिल किया गया है।
- राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियों में राज्यपाल को कूटनीतिक, सैनिक और संकटकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं है।
- **निम्नलिखित शीर्षकों के तहत राज्यपाल की शक्तियों का अध्ययन किया जा सकता है-**

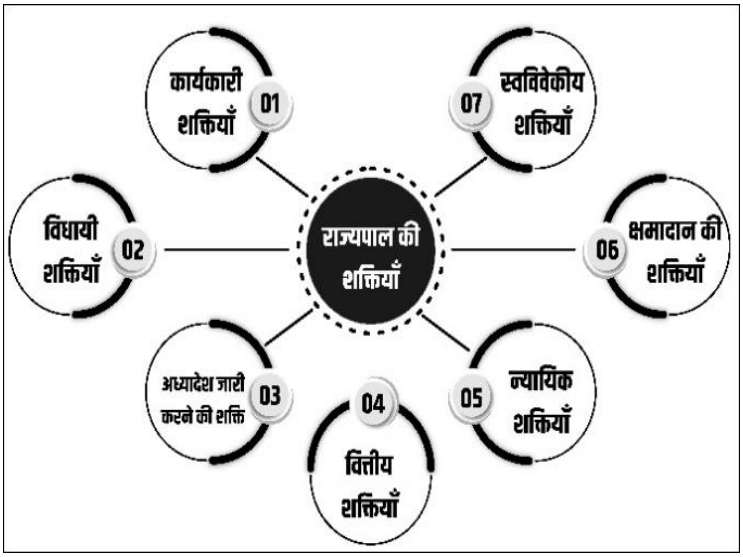

मुख्यमंत्री एवं मन्त्रिपरिषद्

मुख्यमंत्री

- हमारे संविधान में केंद्र में प्रधानमंत्री के समकक्ष राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री के पद का सृजन किया गया है।
- सरकार की संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि **मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख** होता है।
- राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति वैसी है जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री की स्थिति होती है।

मुख्यमंत्री की भूमिका

- हमारे संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है की राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा।
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जायेगी और उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी।
- सरकार की संसदीय प्रणाली में मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी (वास्तविक कार्यकारी) होता है तथा गवर्नर नाममात्र व कानूनी कार्यकारी होता है।
- मुख्यमंत्री **सरकार का मुखिया** होता है तथा राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है।

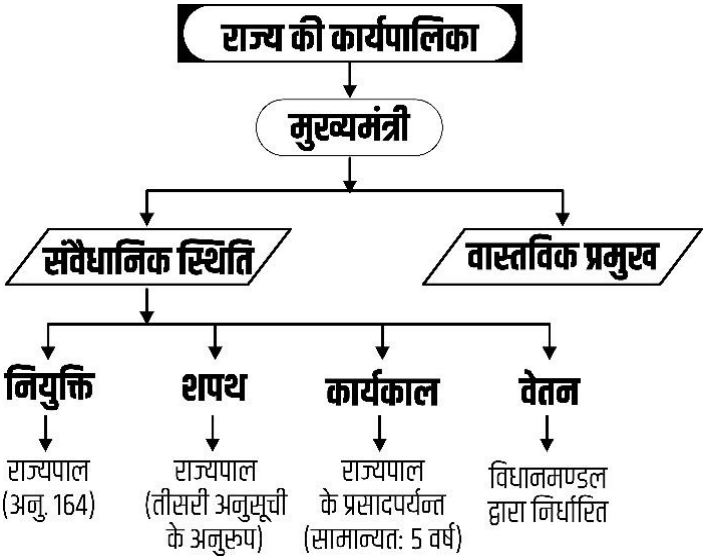

मुख्यमंत्री से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 163 – राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़कर अन्य मामलों में राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा।
- अनुच्छेद 164(1) – मुख्यमंत्री की नियुक्त राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा और मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे।
- अनुच्छेद 167 – राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य।

मुख्यमंत्री की नियुक्ति

- संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, **अनुच्छेद 164** में केवल इतना वर्णित है कि मुख्यमंत्री की **नियुक्ति राज्यपाल** करेगा।
- संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल, राज्य विधानसभा में **बहुमत प्राप्त दल के नेता को** ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है।
- यदि विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेकाधिकार का उपयोग कर सकता है और सबसे बड़े दल या दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है तथा उसे एक माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है।
- एक ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं भी हो को राज्यपाल **6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त** कर सकता है एवं उस व्यक्ति को 6 माह के भीतर विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा।
- संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदनों में से **किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य** है।
- सामान्यतः मुख्यमंत्री निचले सदन (विधानसभा) से चुना जाता है लेकिन अनेक अवसरों पर उच्च सदन (विधान परिषद्) के सदस्य को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है।

शपथ एवं प्रतिज्ञान

- मुख्यमंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व राज्य का **राज्यपाल उसके पद की शपथ** दिलाता है।
- मुख्यमंत्री संविधान की **तीसरी अनुसूची** के अनुसार पद एवं गोपनीयता शपथ लेता है।

कार्यकाल

- मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता वह **राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त** पद धारण करता है।
- सामान्यतः मंत्रिपरिषद् को प्रधान के रूप में मुख्यमंत्री का कार्यकाल **पाँच वर्ष** का होता है लेकिन उसका यह कार्यकाल विधानसभा में बहुमत के समर्थन पर निर्भर करता है।
- राज्यपाल मुख्यमंत्री को तब तक पद से हटा नहीं सकता जब तक उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त है।
- वह तब तक अपने पद पर रह सकता है, जब तक विधानसभा का बहुमत उसके पक्ष में हो। यदि विधानसभा मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, है तब उसे त्यागपत्र देना होता है अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है।
- मुख्यमंत्री का त्यागपत्र समस्त मंत्रिपरिषद् का त्यागपत्र माना जाता है।
- **अनुच्छेद 356** के अंतर्गत राज्य में **संवैधानिक तंत्र की विफलता** के आधार पर राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद् को पदच्युत कर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है।

वेतन भत्ते

- मुख्यमंत्री के वेतन-भत्तों का निर्धारण **राज्य विधानमंडल** द्वारा किया जाता है।
- मुख्यमंत्री को राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले वेतन-भत्तों सहित उसे व्यय विषयक भजे, निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ता और चिकित्सा सुविधायें आदि मिलती हैं।

राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्त्तव्य

- **अनुच्छेद 167** के अनुसार प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्त्तव्य होगा कि वह-

1. राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रि-परिषद् के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे;
2. राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे, वह दे; और
3. किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रि-परिषद् ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद् के समक्ष विचार के लिए रखे।

मुख्यमंत्री की शक्तियाँ

- मुख्यमंत्री की शक्तियों को निम्नांकित शीर्षक के अन्तर्गत स्पष्ट किया जा सकता है-

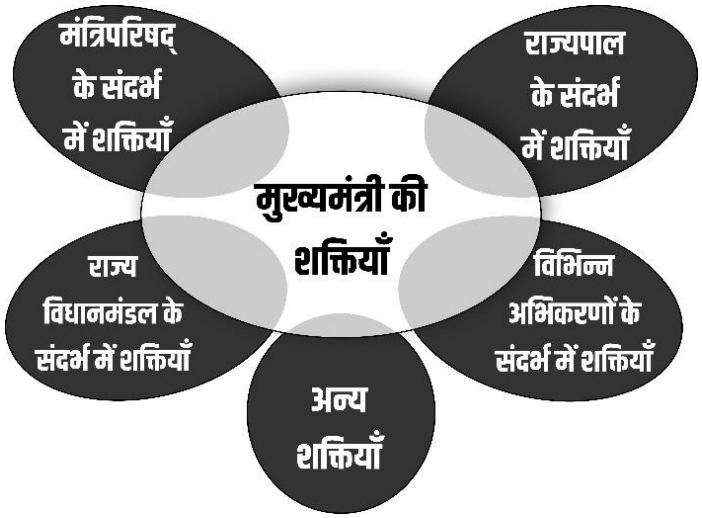

मंत्रिपरिषद् के संदर्भ में शक्तियाँ -

1. राज्य मंत्रिपरिषद् का प्रमुख

- मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद् का प्रमुख होता है। वह राज्य शासन के कार्यों का संचालन करता है और सरकार की नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2. मंत्रियों की नियुक्ति

- राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है, लेकिन यह नियुक्ति मुख्यमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। मुख्यमंत्री अपनी पसंद के अनुसार मंत्रियों का चयन करता है और राज्यपाल को उनके नामों की अनुशंसा करता है।

3. विभागों का वितरण एवं फेरबदल

- मुख्यमंत्री मंत्रियों को विभिन्न विभागों का प्रभार सौंपता है। वह किसी भी समय विभागों के कार्यभार में फेरबदल कर सकता है और मंत्रियों को उनके दायित्वों में परिवर्तन करने का अधिकार रखता है।

4. मंत्रिपरिषद् से त्याग-पत्र की मांग एवं बर्खास्तगी

- यदि मंत्रिपरिषद् में किसी मंत्री से मतभेद उत्पन्न होता है, तो मुख्यमंत्री उसे त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। यदि मंत्री इस्तीफा देने से इनकार करता है, तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को उसकी बर्खास्तगी की सिफारिश कर सकता है।

5. मंत्रिपरिषद् की बैठक की अध्यक्षता

- मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद् में लिए गए निर्णयों को प्रभावित करने की शक्ति भी मुख्यमंत्री के पास होती है। वह बैठक के दौरान विचार-विमर्श को नियंत्रित करता है और अंतिम निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

6. मंत्रियों के कार्यकलापों में सहयोग, निर्देश एवं मार्गदर्शन

- मुख्यमंत्री मंत्रियों के कार्यकलापों की निगरानी करता है और उन्हें आवश्यक निर्देश व मार्गदर्शन प्रदान करता है। वह मंत्रियों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य भी करता है ताकि सरकार की नीतियों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

7. मंत्रिपरिषद् का विघटन

- मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद् का अध्यक्ष होता है। यदि मुख्यमंत्री त्यागपत्र देता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद् स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार, यदि मुख्यमंत्री का आकस्मिक निधन हो जाता है, तो मंत्रिपरिषद् का भी स्वतः विघटन हो जाता है।

8. शासन विभिन्न विभागों में समन्वय

- यह तालमेल मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों की देखभाल करता है तथा इस बात का ध्यान रखता है कि किसी विभाग की नीति का दूसरे विभाग को पर बुरा प्रभाव नहीं पड़े। इसीलिए मुख्यमंत्री को राज्य का मुख्य कार्यपालक कहा जाता है

राज्यपाल के संदर्भ में शक्तियां -

1. राज्यपाल का मुख्य परामर्शदाता

- मुख्यमंत्री राज्यपाल का प्रमुख परामर्शदाता होता है। वह शासन की प्रत्येक समस्या पर राज्यपाल से परामर्श करता है। संवैधानिक तौर पर मुख्यमंत्री के परामर्श को मानना अथवा न मानना राज्यपाल पर निर्भर करता है।

2. राज्य कार्यपालिका में भूमिका

- मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है, जबकि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री सरकार के कार्यों का संचालन करता है और राज्यपाल को उसकी भूमिका के अनुरूप सूचनाएँ प्रदान करता है।

महाधिवक्ता

महाधिवक्ता

- संविधान के **भाग 6** (राज्य) के **अनुच्छेद 165** में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है।
- वह राज्य का **सर्वोच्च कानून अधिकारी** होता है। इस तरह वह भारत के महान्यायवादी का अनुपूरक होता है।

राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित अनुच्छेद -

अनुच्छेद	विषयवस्तु
165	राज्य के महाधिवक्ता
177	राज्य विधायिका के सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़े महाधिवक्ता के अधिकार
194	महाधिवक्ता की शक्तियां, विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा

अनुच्छेद 165 के अनुसार -

- (1) प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा।

  (2) महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को ऐसे विधिक विषयों पर सलाह दे तथा विधिक प्रकृति के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा समय-समय पर उसे निर्देशित किए जाएं या सौंपे जाएं तथा इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उसे सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करे।

  (3) महाधिवक्ता **राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त** पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे।

नियुक्ति -

- राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधित **राज्य के राज्यपाल** द्वारा की जाती है।

योग्यता -

- महाधिवक्ता पद के लिए किसी व्यक्ति में **उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में बनने की योग्यता** होनी चाहिए।

  1. भारत का नागरिक होना चाहिए।

  2. उसे दस वर्ष तक न्यायिक अधिकारी का या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए।

कार्यकाल एवं त्याग-पत्र -

- संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को **निश्चित नहीं** किया गया है।
- इसके अतिरिक्त संविधान में उसे हटाने की व्यवस्था का भी वर्णन नहीं किया गया है।
- वह अपने पद पर **राज्यपाल के प्रसादपर्यंत** बना रहता है, इसका तात्पर्य है कि उसे राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है।
- वह अपने पद से त्याग-पत्र देकर भी कार्यमुक्त हो सकता है। सामान्यत: वह त्याग-पत्र तब देता है जब सरकार (मंत्रिपरिषद्) त्याग-पत्र देती है या पुनर्स्थापित होती है क्योंकि उसकी **नियुक्ति सरकार की सलाह पर** होती है।

वेतन-भत्ते -

- संविधान में महाधिवक्ता के वेतन-भत्तों का निर्धारण नहीं किया गया है। उसके वेतन-भत्तों का निर्धारण **राज्यपाल द्वारा** किया जाता है।

अधिकार एवं शक्तियाँ -

- महाधिवक्ता राज्य में वह मुख्य कानून अधिकारी होता है।
- महाधिवक्ता के अधिकार एवं शक्तियों के बारे में संविधान के **अनुच्छेद 165(2)** स्पष्ट करता है कि "महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसको समय-समय पर निर्देशित करे या सौंपे और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों।"
- इस नाते महाधिवक्ता के कार्य निम्नवत हैं -

1. राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों।
2. विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हों।
3. संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन् करना।

- **अनुच्छेद 177** के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता को यह अधिकार होगा कि वह उस राज्य की विधानसभा में या विधान परिषद् वाले राज्य की दशा में दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में, जहां के लिए वह अधिकृत है, में **बोलने और उनकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार** है।
- किंतु महाधिवक्ता को विधानमंडल के किसी भी **सदन में मतदान का अधिकार नहीं** होगा।
- महाधिवक्ता को वे सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं।
- अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत महाधिवक्ता को राज्य के किसी भी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है।

राजस्थान के महाधिवक्ता

- राजस्थान राज्य के निर्माण के पश्चात् **राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956** के द्वारा एडवोकेट जनरल राजस्थान का कार्यालय अस्तित्व में आया।
- नव सृजित राजस्थान के **पहले एडवोकेट जनरल श्री जी.सी. कासलीवाल** को मनोनीत किया गया।
- वर्तमान में **फरवरी, 2024 से श्री राजेन्द्र प्रसाद राजस्थान के 19वें महाधिवक्ता** के पद पर नियुक्त हैं।
- एडवोकेट जनरल का कार्यालय राजस्थान सरकार से संबंधित सभी प्रकार के मुकदमों की पैरवी करता है।
- ए.जी. कार्यालय की **मुख्य पीठ जोधपुर** में है तथा इसकी **ब्रांच जयपुर** में है।

विगत वर्षों के प्रश्न

1. भारत के संविधान के निम्नांकित में से कौन-से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है?

[II Gr.GK. 2022]

(a) 175 (b) 176
(c) 177 (d) 178 **[c]**

2. निम्न कथनों में से कौनसा सही है?

[वनरक्षक-12.12.2022(S-I)]

1. महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है।
2. उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार है।

(a) केवल कथन 1 सही है।
(b) केवल कथन 2 सही है।
(c) 1 व 2 दोनों कथन सही हैं।
(d) 1 व 2 दोनों कथन गलत हैं। **[a]**

3. निम्न में से कथनों में कौनसा विकल्प सही है?

I. राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार, राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया।
II. जी.सी. कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने।

[CET : 07.01.2023(S-I)]

(a) केवल कथन I सही है
(b) केवल कथन II सही है
(c) I व II दोनों कथन सही हैं
(d) I व II दोनों कथन गलत हैं **[c]**

4. राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है-

[CET : 05.05.2023]

(a) महा अधिवक्ता
(b) उच्च न्यायालय
(c) मुख्य न्यायाधीश
(d) महान्यायवादी **[a]**

5. कौनसा कथन गलत है-

[VDO-27.12.2021(S-II)]

(a) राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है।
(b) महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है।
(c) महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह दें।
(d) महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पदधारण करेगा। **[a]**

♦♦♦♦

राज्य प्रशासनिक व्यवस्था

राज्य शासन सचिवालय

- राज्यपाल राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है। उसे कार्यकारी गतिविधियों में सहायता उपलब्ध कराने सचिवालय होता है।
- शासन सचिवालय समस्त राज्य प्रशासन का नियन्त्रक एवं केन्द्र बिन्दु होता है।
- विभागों के **राजनीतिक प्रमुख मंत्री** तथा **प्रशासनिक प्रमुख सचिव** होता है।
- स्थापना – **1949**
- स्थान – **जयपुर**
- राज्य प्रशासन का सर्वोच्च स्तर होने के कारण सचिवालय विधायी और नीति निर्माण कार्यों में राज्य सरकार की सहायता करता है।
- राज्य में केन्द्र की भांति मंत्रिमण्डल सचिवालय, केन्द्रीय सचिवालय और प्रधान सचिवालय जैसी स्टॉफ संस्थाएँ नहीं होती है।
- राज्य में इन सबसे सम्बन्धित स्टाफ कार्य राज्य सचिवालय को ही करने पड़ते हैं।

सचिवालय की संरचना -

सचिवालय का संगठनात्मक ढाँचा

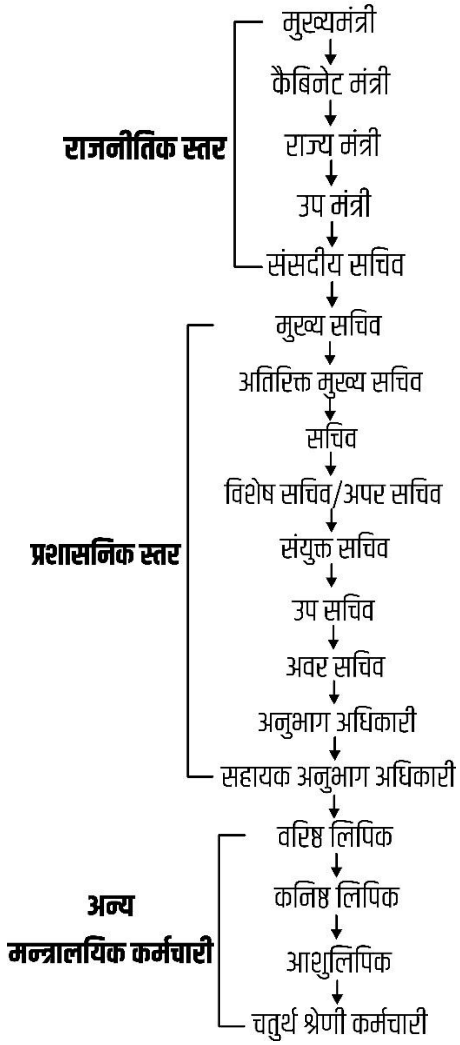

- **राज्य सचिवालय में दो प्रकार के पदाधिकारी होते हैं-**
  1. राजनीतिक पदाधिकारी
  2. प्रशासनिक पदाधिकारी
- सचिवालय राज्य सरकार के कई विभागों से मिलकर बनता है। इसमें राज्य सरकार के कई विभाग शामिल होते हैं।
- सामान्यत: **विभागों की संख्या 15 से 35** होती हैं। ये विभाग कृषि, सामान्य प्रशासन, गृह, वित्त, पंचायती राज, सिंचाई, कानून, सूचना आदि से सम्बन्धित होते हैं।
- राज्य सचिवालय राज्य सरकार का प्रमुख कार्यकारी साधन है और राज्य विषयों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।
- प्रत्येक सचिवालय विभाग का प्रमुख एक सिविल सेवक होता है, जो नीतियों के कार्यान्वयन में संबंधित मंत्री की सहायता करता है।
- मुख्य सचिव इन स्थायी अधिकारियों का प्रमुख होता है और उसे सचिवालय का कार्यकारी प्रमुख कहा जाता है। **मुख्य सचिव राज्य सचिवालय के सर्वोच्च स्तर पर** होता है।
- सचिवालय के सम्पूर्ण प्रशासनिक संगठन पर नियंत्रण मुख्य सचिव ही रखता है। इस हेतु वह सचिवों से निरन्तर संपर्क बनाए रखता है।
- सचिवालय विभिन्न प्रशासनिक विभागों में विभक्त होता है। इन **विभागों का निर्माण व आवंटन राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श** से करता है।
- अपने कार्यों के लिए प्रत्येक विभाग का स्वयं का भी प्रशासनिक संगठन होता है।
- **शासन सचिव** विभाग का **विभागाध्यक्ष** होता है जो कि विभाग के शीर्ष पर होता है। इसकी सहायता हेतु विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उपसचिव, अवर सचिव होते है।
- **अवर सचिव सचिवालय में सबसे अधीनस्थ** होता है। ये सभी अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्य होते हैं। इनकी **नियुक्ति पदोन्नति** द्वारा की जाती है।
- सचिवालय में अधीनस्थ कर्मचारियों का संगठन भी होता है। प्रत्येक विभाग विभिन्न अनुभागों में विभक्त होता है। जिसका प्रमुख अधीक्षक या अनुभाग अधिकारी होता है।
- इसके अधीन सहायक अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक, सहायक लिपिक, आशुलिपिक, चतुर्थ श्रेणी कार्मिक आदि होते हैं।
- मुख्यमंत्री सचिवालय राज्य सचिवालय का ही एक भाग होता है। सचिवालय की कार्य प्रक्रिया का सेक्रेटरियल मेनुअल में विस्तृत उल्लेख होता है।

सचिवालय के कार्य -

- राज्य प्रशासन से सम्बन्धित सभी कार्यों की रूपरेखा सचिवालय में ही तय की जाती है। उसके बाद उस पर मंत्रिपरिषद् या सम्बन्धित मंत्री निर्णय लेते हैं। सचिवालय से ही सम्पूर्ण राज्य में आदेश निर्देश और निर्णयों का प्रवाह होता है।
- सचिवालय द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं-

1. राज्य सरकार के नीति निर्माण और कार्यक्रम तैयार तथा फील्ड एजेन्सियों के माध्यम से इनका क्रियान्वयन करना।
2. नीतियों के क्रियान्वयन से प्राप्त परिणामों की समीक्षा करना और परिस्थितिनुसार आगे की कार्यवाही करना।
3. सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण तथा राज्य का बजट निर्माण करना एवं राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए सक्रिय प्रयास करना।
4. राज्य प्रशासन सम्बन्धी नियम, विनियम तथा विधि निर्माण करना।
5. केन्द्र और अन्य राज्यों से लगातार सम्पर्क बनाए रखना तथा सूचनाओं का आदान-प्रदान करना।
6. मंत्रिमण्डल की बैठकों की व्यवस्था करना, उसकी कार्यवाही का एजेण्डा तैयार करना और निर्णयों को सम्बन्धित विभागों तक भेजना।
7. विधेयक निर्माण में मंत्रिमण्डल की मदद करना।
8. मंत्रिमण्डल की तरफ से राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करना।
9. मंत्रिमण्डल समितियों को सचिवीय सहायता देना तथा विभाग प्रमुखों की नियुक्ति करना।
10. राज्य प्रशासन की सहायता के लिए राज्य प्रशासन के सूचना भण्डार के रूप में कार्य करना।
11. राज्य में वेतन प्रशासन, संस्थापन, सेवा शर्ते सम्बन्धी भूमिका का निर्वहन।
12. जनसाधारण की शिकायतें और अपीलें प्राप्त कर उनका समाधान करना।
13. क्षेत्रीय इकाइयों का समय-समय पर नियंत्रण, निर्देशन तथा मूल्यांकन करना।

सचिवालय सम्बन्धी प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें -

- प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सचिवालय के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की -

1. राज्य सचिवालय में विभागों की संख्या अधिकतम 13 हो।
2. मुख्य सचिव के अधीन एक कार्मिक विभाग हो जो प्रत्यक्षतः मुख्यमंत्री के नियंत्रण में हो।
3. विभागों के बीच विषय वितरण के समय तालमेल बना रहे।
4. कार्यपालिका सम्बन्धी वे कार्य जो सचिवालय द्वारा ही किए जा रहे हो, उन्हें कार्यपालिका संगठनों को ही हस्तान्तरित कर दिया जाना चाहिए।
5. प्रत्येक विभाग में एक नीतिगत सलाहकार समिति की स्थापना हो।
6. मंत्री के नीचे निर्णय निर्माण केवल दो ही स्तरों पर हो।

निदेशालय

- राज्य स्तर पर सरकार के तीन प्रमुख घटक होते हैं- मंत्री, सचिव और कार्यकारी प्रमुख।
- मंत्री और सचिव को मिलाकर सचिवालय बनता है, जबकि कार्यकारी प्रमुख के कार्यालय को निदेशालय कहते हैं।
- निदेशालय **राज्य की कार्यकारी इकाई** है और ये सचिवालय के अधीन कार्य करते हैं।
- सचिवालय स्टाफ एजेंसी है, जबकि निदेशालय **लाइन एजेंसी**।
- दूसरे शब्दों में सचिवालय नीतियों का निर्माण करता है, जबकि **निदेशालय नीतियों का क्रियान्वयन**।
- निदेशालय का **प्रधान एक निदेशक** होता है। उसकी सहायतार्थ अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, सहायक निदेशक आदि होते हैं।
- निदेशालय प्रमुख को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे- **महानिदेशक, महानिरीक्षक, रजिस्ट्रार, मुख्य संरक्षक।**
- इसकी **नियुक्ति मुख्यमंत्री** करता है और यह मुख्यमंत्री के प्रसादपर्यन्त ही अपने पद पर बने रहता है।
- उदाहरण कृषि विभाग का प्रमुख कृषि निदेशक, वन विभाग का मुख्य वन संरक्षक, कारागार विभाग का महानिरीक्षक कारागार आदि।

निदेशालय के कार्य -

- निदेशालय के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं-

1. विभाग का बजट तैयार करना।
2. मंत्रियों को तकनीकी सलाह प्रदान करना।
3. राज्य लोक सेवा आयोग को पदोन्नति और आनुशासनिक कार्यवाही के संदर्भ में सलाह देना।
4. नियमानुसार अधीनस्थ कर्मचारियों पर आनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करना।
5. अनुदानों का आवंटन करना।
6. नियमानुसार निर्धारित सीमा के भीतर नियुक्ति, स्थानान्तरण और पदोन्नतियाँ करना।
7. विभागीय कर्मचारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण का आयोजन करना।
8. विभागीय अनुसंधान और प्रयोगात्मक कार्यों का संचालन करना।
9. विभागीय अधिकारियों को सम्मेलनों में भाग लेने की अनुमति प्रदान करना।

मुख्य सचिव

- मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का मुखिया या शीर्ष पदाधिकारी होता है तथा मुख्य समन्वयक एवं लोकसेवकों के लिए मुख्य उत्प्रेरक का कार्य करता है।

राज्य विधानमण्डल

राज्य विधानमंडल

- संविधान के **छठे भाग** में **अनुच्छेद 168 से 212** तक राज्य विधान मंडल की संगठन, गठन, कार्यकाल, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार तथा शक्तियों आदि के बारे में बताया गया है।
- भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल के गठन में एकरूपता नहीं है। अधिकतर राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है, जबकि कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है।
- वर्तमान में, केवल **छह राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल** की हैं।
- ये छह राज्य हैं- 1. आंध्र प्रदेश, 2. तेलंगाना, 3. उत्तर प्रदेश, 4. बिहार, 5. महाराष्ट्र और 6. कर्नाटक।
- जम्मू और कश्मीर विधान परिषद् को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया था।

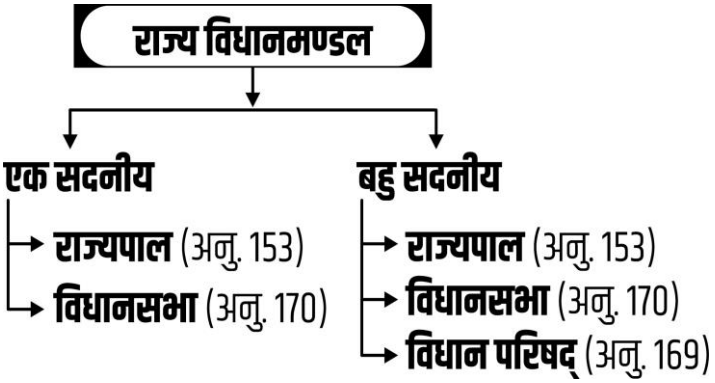

राज्य विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद -

अनुच्छेद	विषयवस्तु
168	राज्यों में विधायिकाओं का गठन
169	राज्यों में विधान परिषदों का गठन अथवा उन्मूलन
170	विधानसभाओं का गठन
171	विधान परिषदों का गठन
172	राज्य विधायिकाओं का कार्यकाल
173	राज्य विधायिका की सदस्यता के लिए योग्यता
174	राज्य विधायिका के सत्र, सत्रावसान एवं उनका विघटन
175	राज्यपाल का सदन अथवा सदनों को संबोधित करने तथा उन्हें संदेश देने का अधिकार
176	राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन
177	सदनों से संबंधित मंत्रियों तथा महाधिवक्ता के अधिकार
178	विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष
179	विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पदों से पदत्याग, त्याग-पत्र तथा पद से हटाया जाना।
180	उपाध्यक्ष अथवा अध्यक्ष का पदभार संभाल रहे व्यक्ति की शक्तियाँ
181	अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष द्वारा उस समय सदन की अध्यक्षता से विरत रहना जबकि उन्हें हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो।
182	विधान परिषद् के सभापति एवं उप सभापति
183	सभापति तथा उप सभापति के पदों से पदत्याग, त्याग-पत्र तथा पद से हटाया जाना
184	उप सभापति या अन्य व्यक्ति जो कि सभापति का कार्यभार देख रहा हो, को सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति
185	सभापति एवं उपसभापति द्वारा उस समय सदन कीअध्यक्षता से विरत रहना जबकि उन्हें हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो।
186	विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और विधान परिषद् सभापति और उपसभापति के वेतन एवं भत्ते
187	राज्य विधायिका का सचिवालय
188	सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण
189	सदन में मतदान, सदनों की रिक्तियों एवं कोरम का विचार किए बिना कार्य करने की शक्ति
190	सीटों का रिक्त होना
191	सदस्यता के लिए अयोग्यता
192	सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय
193	अनुच्छेद 188 के अंतर्गत शपथ ग्रहण के पहले स्थान ग्रहण और मतदान के लिए दंड अथवा उस स्थिति के लिए भी जबकि अर्हता नहीं हो अथवा अयोग्य ठहरा दिया गया हो
194	विधायी सदनों तथा इनके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियां एवं विशेषाधिकार इत्यादि
195	सदस्यों के वेतन-भत्ते
196	विधेयकों की प्रस्तुति एवं उन्हें पारित करने संबंधी प्रावधान
197	विधान परिषद् के वित्त विधेयकों के अतिरिक्त अन्य विधेयकों के संबंध में शक्तियों पर प्रतिबंध
198	वित्त विधेयकों संबंधी विशेष प्रक्रिया
199	वित्त विधेयक की परिभाषा
200	राज्यपाल द्वारा विधेयकों की स्वीकृति
201	राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ बिल सुरक्षित रखना
202	वार्षिक वित्तीय विवरण
203	विधायिका में प्राक्कलनों से संबंधित प्रक्रिया

204	विनियोग विधेयक
205	पूरक, अतिरिक्त अथवा अतिरेक अनुदान
206	लेखा, ऋण एवं असाधारण अनुदानों पर मतदान
207	वित्त विधेयकों संबंधी विशेष प्रावधान
208	प्रक्रिया संबंधी नियम
209	राज्य विधायिका में वित्तीय कार्यवाहियों से संबंधित प्रक्रियागत नियम
210	विधायिका में प्रयोग की जाने वाली भाषा
211	विधायिका में चर्चा पर प्रतिबंध
212	न्यायालय द्वारा विधायिका की कार्यवाहियों के संबंध में पूछताछ नहीं
213	विधायिका की अवकाश अवधि में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति

राज्य विधानमंडल का गठन

- **अनुच्छेद 168** के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा।
- राज्य विधानमंडल में **राज्यपाल, विधान परिषद् और विधानसभा** सम्मिलित होते हैं।
- किन्तु जिन राज्यों में एकसदनीय व्यवस्था है, वहां विधानमंडल में राज्यपाल और विधानसभा ही होते हैं।
- विधान परिषद् उच्च सदन (द्वितीय सदन या वरिष्ठों का सदन) है, जबकि विधानसभा निचला सदन (पहला सदन या लोकप्रिय सदन) होता है।

राज्य विधान परिषद् के गठन का प्रावधान

- संविधान के **अनुच्छेद 169** में राज्य में विधान परिषद् के गठन एवं विघटन करने की व्यवस्था है।
- यदि किसी राज्य में विधान परिषद् गठित नहीं है, तो **संसद इसका गठन कर सकती** है। और यदि किसी राज्य में विधान परिषद् है, तो संसद विघटित कर सकती है।
- परंतु यह तभी संभावित है, जब राज्य की विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित करे। इस तरह का कोई विशेष प्रस्ताव राज्य विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित होना जरूरी है। यह बहुमत कुल मतों एवं उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई से कम नहीं होना चाहिए।
- संसद द्वारा यह सामान्य विधान की तरह (अर्थात् साधारण बहुमत से) पारित किया जायेगा।

दोनों सदनों की संगठनात्मक संरचना

राज्य विधानसभा (State Legislative Assembly)

- संविधान के **अनुच्छेद 170** में राज्य में विधान सभा के गठन एवं संरचना का उल्लेख किया गया है।

सदस्यों की संख्या एवं चुनाव -

- राज्य विधानसभा के सदस्यों (प्रतिनिधियों) का चुनाव जनता द्वारा **प्रत्यक्ष रूप से** किया जाता है, विधानसभा में प्रतिनिधियों की संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है।
- विधानसभा में प्रतिनिधियों की **अधिकतम संख्या 500 व न्यूनतम संख्या 60** निर्धारित की गई।
- इसका अर्थ है कि 60 से 500 के बीच की यह सख्या राज्य की जनसंख्या एवं इसके आकार पर निर्भर है।
- किंतु कुछ राज्यों हेतु विशेष प्रावधान किए गए है, जैसे – अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा में विधानसभा प्रतिनिधियों की संख्या 30 और मिजोरम व नागालैंड के लिए क्रमश: 40 व 46 है।

राजस्थान विधानसभा की संख्या

- राजस्थान विधानसभा में **वर्तमान सदस्य संख्या 200** है।
- प्रथम विधानसभा में कुल सदस्य संख्या 160 थी।
- 1 नवम्बर, 1956 को राजस्थान के संपूर्ण विलय के पश्चात् विधानसभा सदस्यों की संख्या 190 हो गई।
- द्वितीय विधानसभा के चुनावों से पूर्व विधानसभा सीटों की संख्या परिसीमन के कारण 190 से घटकर 176 हो गई।
- चौथी विधानसभा के चुनाव से पूर्व द्वितीय परिसीमन के कारण विधानसभा की सदस्य संख्या 184 की गई।
- छठवीं विधानसभा के चुनावों से पूर्व तृतीय परिसीमन के कारण विधानसभा की सदस्य संख्या 200 हो गई, जो वर्तमान तक यथावत् है।

मनोनीत सदस्य –

- 2020 से पहले, यदि एंग्लो-इंडियन समुदाय को विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला हो तो राज्यपाल एंग्लो-इंडियन समुदाय से एक सदस्य को विधानसभा में नामित कर सकता था।
- मूल रूप से, यह प्रावधान केवल दस वर्षों (अर्थात् 1960 तक) के लिए प्रभावी था। बाद में, लगातार इस अवधि को हर बार दस साल के लिए बढ़ाया जाता रहा है।
- इसका अंतिम विस्तार 95वें संशोधन अधिनियम, 2009 द्वारा किया गया था, जो वर्ष 2020 तक वैध था।
- **104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019** ने राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया।
- नतीजतन, यह प्रावधान 25 जनवरी, 2020 के बाद प्रभावी नहीं रहा।

क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र –

- विधानसभा के लिए होने वाले प्रत्यक्ष निर्वाचन पर नियंत्रण के लिए हर राज्य को क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर बांट दिया गया है।

कठिन परीक्षाएँ भी आसान लगेंगी जब तैयारी होगी लक्ष्य के साथ।

सभी पुस्तके आपके नजदीकी बुक स्टोर पर उपलब्ध।

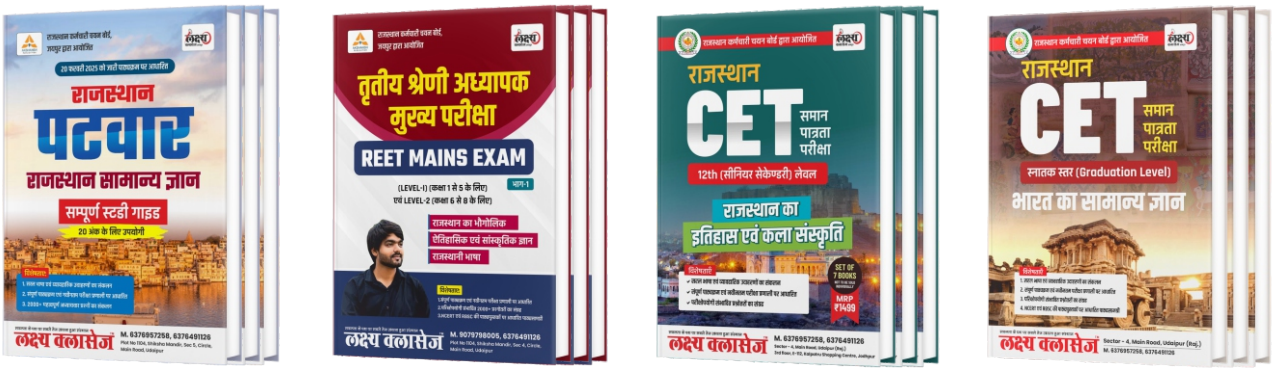

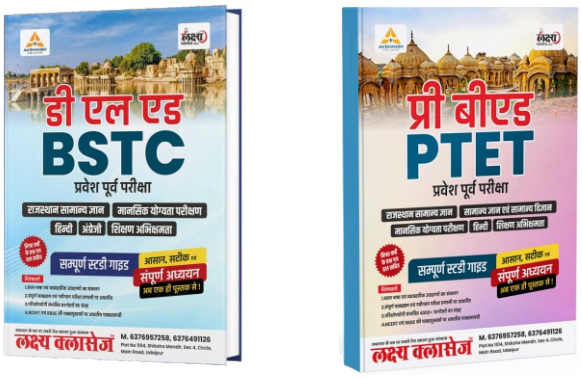

लक्ष्य क्लासेज की प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकों को खरीदने के लिए QR कोड स्कैन करें।

Scan to Download Lakshya App Now

ANDROID APP ON Google play

सफलता के पथ पर सबसे तेज उभरता हुआ संस्थान

लक्ष्य क्लासेज™

M. 9079798005, 6376491126

Plot No 1104, Shiksha Mandir, Sec 4, Circle, Main Road, Udaipur